वृन्दावन–मथुरा में 2 अगस्त, 2003 को केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एवं केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा आयोजित जन चेतना समारोह के अवसर पर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबोधन

इस बृजभूमि एवं आप लोगों के बीच में अपने को पाकर मैं अत्याधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। इस क्षेत्र को देखने एवं समझने की मेरी पुरानी अभिलाषा थी। इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ इस धरती की एक प्रमुख समस्या –'मीठे जल' की अपर्याप्त उपलब्धता होने पर केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा 'वर्षाजल संग्रहण जन जागरुकता एवं प्रशिक्षण' आयोजित कार्यक्रम में सहृदय भागीदारी के लिए आया हूँ।

मथुरा, बृन्दावन अपनी पौराणिक कथाओं के लिए जग प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्तों की अथाह जनसंख्या देश एवं विदेश से इस स्थान पर प्रतिवर्ष आती है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा अन्वेष्णात्मक छिद्रण के प्रमाणों से ज्ञात हुआ है कि वृन्दावन विकास खंड में 40 मीटर गहराई तक मीठा पानी मिलता है, इसके नीचे खारा पानी है। बोर्ड ने भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा विकास खंड के दो क्षेत्रों में मीठे पानी का पता लगाया है जो 25.50 मीटर गहराई तक मिलता है। इन क्षेत्रों में सीमित क्षमता में ही भूजल का दोहन सम्भव है। यमुना नदी का जल प्रदूषित है जिसका मुख्य कारण औद्योगिक उत्सर्गों एवं बढ़ती आबादी व इससे जनित अपशिष्ट का सीधे नदी में प्रवाह है। नदी के जल को प्रदूषण से मुक्त करने की हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि नदी के करीब का भूजल भी प्रदूषण की चपेट में आ सकता है। जिसमें जनता और प्रशासन की भागीदारी अति आवश्यक है। इन तथ्यों की जानकारी केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), लखनऊ ने ''वृन्दावन–मथुरा की भूजल स्थिति एवं प्रबन्धन'' पुस्तिका में दर्शायी हैं जो इस समारोह में वितरित की गयी है।

इस समय मैं केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के वैज्ञानिकों की सराहना करना चाहूंगा, जो यहां बढ़ती जनसंख्या, बढते औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषित यमुना से प्रभावित क्षेत्र में एक नया जोश, एक नई सोच, वैज्ञानिक पहल एवं तथ्यों को जनमानस तक पहुंचानें का प्रयास कर रहे है।

इस क्षेत्र में दक्षिण–पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। वर्षाऋतु के लगभग 35 दिनों में 620 मि0मी0 सामान्य रुप से पानी गिरता है। इस जल का अधिकांश भाग प्रदूषित यमुना में मिल जाता है। इस दर्द को यहाँ के लोगों ने बहुत पहले ही समझ लिया था, और इसे संचित एवं संग्रहित करने के लिए बहुत से कुण्ड बना रखे

थे। आज इन कुण्डों की बडी जर्जर अवस्था है। यह इसी क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश में आज हमारे जल संरक्षण के परम्परागत साधनों की यही दशा है। आज हमारे देश की आबादी 100 करोड़ को पार कर गई है। इतनी विशाल आबादी के लिए कृषि एवं पेयजल उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

जल संसाधन विशेषकर भूजल के अत्याधिक विकास से कुछ पर्यावरण संबंधी खतरे उत्पन्न हो गये हैं। अतः हमें इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जल संसाधन की समस्या को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण पर पड़ता है। जल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमें इस क्षेत्र के जल संसाधनों के विकास के साथ ही साथ वर्षा जल के संचयन एव सतही जल के संरक्षण और उसकी कारगर व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा।

हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में मीठे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्व प्रमुख हमें मानसून से प्राप्त जल का सही उपयोग करना होगा। इस मौसम के दौरान जल को अधिकाधिक एकत्र करना, उसे संरक्षित करना और गिरते भूजलस्तर को रोकने एवं स्थायी करने के लिए वर्षा जल का पुनर्भरण करना, अर्थात वर्षा जल संचित करना अत्यन्त आवश्यक है। यह जल संचयन की विधा नई नहीं है। वर्षा जल एकत्र करने की अनेक विधाएं हमारे देश में परम्परागत रुप से उपलब्ध हैं। चाहे मथुरा–वृन्दावन के कुण्ड या झील हों या दिल्ली के महरोली में सूरज कुण्ड, हौजखास में इल्तुतमिश तालाब या कस्तुरबा गांधी मार्ग पर उग्रसेन की बावली। ये तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि पुराने समय में भी जल की जागरुकता तथा उसका संरक्षण करने की देश में दीर्घकालीन और समृद्ध परम्परा थी।

इस कार्यक्रम को एक जन अभियान बनाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (जल संसाधन मंत्रालय) पुनर्भरण कूपों, चेक बन्धों, बंधियों, गाँव के तालाबों जैसे विभिन्न उपायों द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भंडारण द्वारा भूमिजल संसाधनों में वृद्धि के लिए विभिन्न राज्यों में कई योजनाएं लागू कर चुका है। जिसके लिए जल संसाधन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा वित्तीय सहायता भी राजकीय संगठनों को प्रदान की गई है। इन योजनाओं से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अध्ययनों से यह भी प्रतीत होता है कि जल भूवैज्ञानिक और कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों को ध्यान में रख देश के मानसून का व्यर्थ बह जाने वाला 36453 एम.सी.एम वर्षाजल भूमिगत जलाशयों में भरना संभव है।

जल संसाधन मंत्रालय ने नवीं योजना में केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की तकनीकी देखरेख में कई कार्यक्रम शुरु किए जिसके सफल परिणाम प्राप्त हो रहें हैं। अनेक गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों को भी इस दिशा में सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं। गैर सरकारी संगठनों की उपलब्धियों और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा 20.25 वर्षों के दौरान किए गये विभिन्न परीक्षणों से उत्साहित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को 'स्वच्छ जल वर्ष–2003' को घोषित किया है। अतः इस वर्ष को वर्षाजल संचय एवं संरक्षण कार्यक्रम – जन जागरण एवं जन चेतना के रुप में मनाया जा रहा है। इस संदेश को फैलाने में आप सभी को और गैर सरकारी संगठनों को चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड इसमें आपको तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। यहाँ आस–पास में स्थित विभिन्न उद्योगों से जुड़े लोगों से भी विशेष आग्रह है कि वह अपने उद्योग क्षेत्र की सीमा में अधिक से अधिक जल संरक्षण एवं संचयन करें।

जल संचयन को प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की घोषणा के बाद यह आवश्यक हो गया है कि इस घोषणा और कार्यक्रम को इस क्षेत्र के घर–घर में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाये। इसमें उपस्थित लोगों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्ग दर्शन एवं नेतृत्व हमें प्राप्त है। अब आवश्यकता है सिर्फ पर्याप्त पेयजल ोतों के क्षेत्रों की खोज एवं प्रबन्धन की, साथ ही वर्षाजल संचय के दीर्घकालिक रचनात्मक प्रयास की।